(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1877-दो/2016 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-4-2016 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 39/2015-16 पुनरावलोकन

1- संदीप सिंह 2- सुरेन्द्र सिंह 3- अरूणप्रताप सिंह
पुत्रगण स्व0यदुनाथ सिंह
4- श्रीमती पुष्पलता सिंह पत्नि स्व0यदुनाथ सिंह
5- महिला ललिमा सिंह पुत्री स्व0यदुनाथ सिंह
6- श्रीमती कविता सिंह पत्नि स्व. अमरबहादुर सिंह
7- श्रीमती दिलराजू पत्नि स्व. यदुनाथ सिंह
8- वृजेश सिंह पुत्र स्व. विजयबहादुर सिंह
सभी ग्राम पहड़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- प्रभाकर सिंह पुत्र स्व. बैजनाथ सिंह
2- श्रीमती रामवती पत्नि स्व. बैजनाथसिंह
निवास ग्राम पहड़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा मध्य प्रदेश
3- कामता सिंह फोत वारिस
क- नारेन्द्र सिंह ख- राजेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व.कामतासिंह
ग- वीरेन्द्र सिंह फोत वारिस
1. श्रीमती रमासिंह पत्नि स्व.वीरेन्द्र सिंह
2. प्राची सिंह पुत्री स्व.वीरेन्द्र सिंह
3. प्रवेश सिंह 4. किशन सिंह पुत्रगण स्व.वीरेन्द्र सिंह
निवासीगण ग्राम खडडी तहसील गुढ़ जिला रीवा
4- राजमणि सिंह 5- शिवमंगल सिंह पुत्रगण विशेषर सिंह

6- अजय सिंह 7- विजय सिंह पुत्रगण स्व. लालमणि सिंह
8- श्रीमती सुशीला सिंह पत्नि स्व. लालमणि सिंह
सभी ग्राम खडडी तहसील गुढ जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक क-1,2 के अभिभाषक श्री जे.एस.गौड)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 16-7-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 39/2015-16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 27-4-2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 50 अ 27/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 20-3-2006 से उभय पक्ष बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 30/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-9-2009 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 276/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-2012 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश पर से आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 39/2015-16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 27-4-2016 से पुनरावलोकन आवेदन खारिज कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये। अनावेदक कमांक 1, 2 के अभिभाषक ने अभिलेख के आधार पर प्रकरण के निराकरण का आग्रह किया। शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के कम में विचार यह किया जाना है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 276/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-2012 के विरूद्व प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 39/2015-16 के क्या आधार रहे हैं तथा अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 27-4-2016 पारित करते समय पुनरावलोकन के आधारों पर विचार न करने में किस प्रकार की खामियॉ है ? अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 26-3-2012 एंव पुनरावलोकन आदेश दिनांक 27-4-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 23-9-2009 एंव तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 20-3-2006 का परीक्षण करते हुये अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26-3-2012 पारित किया है । आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 16-4-12 प्रस्तुत किया गया है । किसी भी आदेश के पुनरावलोकन के लिये संहिता की धारा 51 में दी गई व्यवस्था अनुसार निम्न आधार होना लाजमी है :-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

अपर आयुक्त ने पुनरावलोकन आवेदन में उक्त में से कोई आधार समाधान-कारक होना नहीं पाया है जिसके कारण आवेदकगण का पुनरावलोकन आवेदन अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 27-4-2016 से निरस्त किया है। जहां तक उभय पक्ष के बीच असमान बटवारे के संबंध में उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है ? यदि आवेदकगण तहसीलदार व्दारा बटवारा की

गई भूमि के किसी विशिष्ट भाग को अपने स्वत्व होना मानते हैं तब स्वत्व के मामले का विनिश्चय वह सक्षम न्यायालय से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 39/2015-16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 27-4-2016 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 39/2015-16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 27-4-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर